मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /एफ 8–1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक : 8/12/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त ,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः– **मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन नियतन बाबत्।**

संदर्भः– इस विभाग का पत्र क्र. एफ–8–1/2016/नियम/चार भोपाल, दि.20 जुलाई 2017 एवं संमसंख्यक पत्र दिनांक 22 जुलाई 2017

———000———

राज्य शासन के ध्यान में आया है कि विभिन्न वेतनमानों में शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच कार्यालय प्रमुखों द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से समय पर नहीं कराई जाने के फलस्वरुप सेवा निवृत शासकीय सेवकों के सेवा निवृत्ति से संबंधित परिलाभों के प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक रुप से विलम्ब होता है। साथ ही गलत वेतन निर्धारण की सामायिक जॉच नही होने से अधिक भुगतान के प्रकरणों में शासकीय सेवक से वसूली में भी कठिनाई आती है। सेवा निवृत्ति के बाद वसूली की स्थिति निर्मित होने पर संबंधित शासकीय सेवक द्वारा न्यायालय में वाद दायर किये जाने से शासन का समय एवं धन का अपव्यय होता है।

2. संदर्भित ज्ञाप अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच एक अभियान के रुप में समय सीमा में पूर्ण करने की दृष्टि से निम्नांकित प्रकिया निर्धारित की जाती है :-

(अ) संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा प्रकरणों की संख्या एवं समय सीमा के आधार पर अपने संभाग के जिला पेंशन अधिकारी को संबंधित जिले के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच एवं अनुमोदन हेतु अधिकृत कर सकेगें।

(ब) सेवा निवृत्ति प्रकरणों में संभागीय पेंशन अधिकारी भी वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच एवं अनुमोदन के लिये अधिकृत होगें।

(स) उपर्युक्त (अ) अनुसार कार्य, व्यवस्था, अधिकतम दिनांक 31/03/2018 तक के लिए रहेगी जिसे आयुक्त कोष एवं लेखा की अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा।

(द) उपर्युक्त अनुसार अधिकृत अधिकारी वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच **आई0एफ0एम0आई0एस0** से कर उसी प्रकार प्रमाण पत्र अंकित करेंगे जिस प्रकार संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(इ) अधिकृत अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण प्रमाणीकरण अंतिम स्वरुप का होगा तथा जब तक कोई विशेष तथ्य प्रकाश में न आये इन प्रकरणों की पुनः जॉच की आवश्यकता नहीं होगी। **वेतन निर्धारण प्रकरण के प्रमाणीकरण स्वरुप दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारुप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।**

(फ) संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, उनके कार्यालय लॉगिन पर प्राप्त वेतन निर्धारण प्रकरणों को अधिकृत अधिकारियों को **आई0एफ0एम0आई0एस0** के माध्यम से अग्रेषित करेंगें। यथासंभव एक

कार्यालय प्रमुख की सेवा पुस्तिका एक ही अधिकारी को अग्रेषित की जाये एवं एक जिले की सेवा पुस्तिकाएं किसी अन्य जिले के अधिकारियों को अग्रेषित नहीं की जाएँ।

(ग) प्रकरण प्राप्त होने पर जिला पेंशन अधिकारी संबंधित कार्यालय प्रमुख/प्रमुखों को प्रकरणों की जांच एवं अनुमोदन के लिए तिथि से अवगत कराएगें तथा नियत तिथि को उस कार्यालय में उपस्थित होकर अनुमोदन कार्य करेंगे। **प्रकरण पूर्णतः तैयार कर जांच दल को प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख का होगा।**

3. वेतन पुनरीक्षण नियमों में वेतन निर्धारण की जॉच दिनांक 31 मार्च 2018 तक पूर्ण कर ली जाए। ऐसे सभी कार्यालय प्रमुखों को अप्रैल 2018 के वेतन देयक के साथ परिशिष्ट–2 पर संलग्न प्रारुप में प्रमाण पत्र देना होगा तथा ऐसा प्रमाण पत्र न देने वाले कार्यालय प्रमुखों का आगामी माह का वेतन आहरण नहीं किया जा सकेगा।

4. समस्त विभागध्यक्षों से अनुरोध है कि अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित करे कि वेतन पुनरीक्षण की जॉच एवं अनुमोदन समयसीमा में पूर्ण करायें तथा जांच दल पहुंचने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

5. वेतन निर्धारण की जॉच की प्रगति की मासिक समीक्षा आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा की जाकर समस्त विभागाध्यक्ष एवं विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव को जानकारी प्रेषित की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट–1

कार्यालय..

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (जो दिनांक 01.01.2016 से लागू है) के अन्तर्गत अनुसूची –एक में वर्णित वेतन मेट्रिक्स में लेवल क्र. एवं वेतनमान................................ में दिनांक.... ....को वेतन रुपये.................................. निर्धारित किया जाकर आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक...................................... निर्धारित किया जाता है।

प्रमाणीकरण की दिनांक.................................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(प्रकरण जांचकर्ता)

(अधिकारी का नाम................)

(एस.ए.एस. अधिकारी का नाम.................) पदनाम....

....

परिशिष्ट–2

प्रमाणित किया जाता है कि (कार्यालय का नाम)..............................
....

.... में पदस्थ समस्त शासकीय सेवकों के समस्त वेतन पुनरीक्षणों की जॉच करा ली गई है तथा जॉच संबंधी प्रमाणीकरण संबंधित शासकीय सेवकों की सेवा–पुस्तिका में अंकित है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में इस कार्यालय में पदस्थ किसी भी शासकीय सेवक का पुनरीक्षित वेतनमान में जॉच के लिए शेष नहीं है/ निम्नांकित शेष है।

प्रमाणीकरण की दिनांक ....

हस्ताक्षर

(कार्यालय प्रमुख का नाम)

पदनाम....................

कार्यालय का नाम..........